□□□□ □□□□□

□□□ □त्रा□□

(□□□□□, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, □□□□□, सिद्ध एवं होम्यो□□□)

□□□ □□□

□□□ि□□ प्रश्न □□- 358*

10 □□स□, 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□□ि□□ परीक्षण □□ प्रि□□□

*358. श्री □□. धु□□□□□□□:

क□□ □□□□□, □□□ □□ प्राकृतिक ि□ि□त□□, □□□□□, सिद्ध □□ □□म्□□□□□ (□□□□) □त्री □□ □□□□□□ा □□□ □□□□ि□:

(□) क□□ □□□□□ □□□□□□□, सिद्ध □□□ □□□□□ ि□द्धि□ □ा □□□ □□□□□ि □□□□□ि□□ परीक्षण □□ प्रि□□□ □□□□□ □;

(□) ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□ क□□ □□□□□ □□□□क□□ □□□□ □;

(□) क□□ □□□□□ □□□□□□ □ा □□□ □□□□□ि □□□ि□□ परीक्षण □□ प्रि□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□त□ □□□ा □□□ □□□□□ि □ा बिक्री □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□ क□□ □;

(□) ि□ □□ि,□□ क□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ ि□□□□ □□ □□ा □;□□

(□) ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□ क□□ □□□□ ि□ □□ि,□□ □□□□क□□ □□□□ □?

<u>□त□□</u>

<u>□□□ □□ज□ □त्री (स□तंत्र प्रभार) श्री श्रीपाद येसो नाईक</u>

(□) □□(□.) : ि□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□

□□□ □□□ □ 10 □□स□, 2018 **को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या** 358 **के उत्तर म उल्लिखित** **f□□□□**

(□) □□ (□): सरकार ने आयुवदाय, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधां के पेटट अथवा एकाधिकार के नैदानिक पराक्षणां पर रोक नहां लगाई है। आयुष मंत्रालय ने □□□ □ा □ □□□□□औषधां का कुछ विशेष श्रेणियां का बिक्री हेतु विनिमाण के लिए लाइसस देने के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता के प्रमाण स्वरू□ अपेक्षित प्रायोगिक अध्ययनां के बारे म औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावलो, 1945 □□f□□□ 158□ के प्रावधानां के बारे म राज्य f□f□□□मकां और औषध विनिमाताओं के अनुरोध पर एक स्पष्□ा□□□ □□ा f□□□ □□ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावलो, 1945 □□□□□ □□□□□□□□ा □□□□ f□f□□□□□ प्र□□□□ा □□प्र□□ □ 'नैदानिक पराक्षण' □ब□ □□ □ल□ख इस अथ म नहां किया गया □□ □□: □□□□□ □□□ा □□□□ानिक पराक्षण पर रोक लगाने का प्रश्न हा नहां उठता □□ □□□f□, वतमान विधिक प्रावधानां के अनुसार यदि उस औषधि के उपयोग अथवा लक्षण के दावे के समथन म पाठ्यचया □□□□□, प्र□f□□ □f□त□ □□ पाठ्यचया (प्राधिकृत □स□□ □□ □□f□□) □क्ष□ प्रस□□ □ f□□ □□ □ा तो किसी आशयित एएएसयू औषध को लाइसस जारा करने के लिए प्रायोगिक अध्य□□ □□रू□ □ प्रभावकारिता के प्रमाण का मांग का जा सकती है।

(□) □□(□): चूंकि सरकार ने एएसयू औषधां के पेटट अथवा एकाधिकार के नैदानिक पराक्षणां पर रोक □□ा□□□□ □,इसलिए बाजार म खराब गुणवत्ता के औषधां का बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई नई स□ा□ □□□□ f□□-निदश प्रतिपादित करना न तो वांछित है और न हा परिकल्पित है। □□□त□ f□□त्र□ करने और दोषियां के खिलाफ कारवाई करने के लिए □f□□□ ब्र□□ □□□,□□□ा, f□□□□ा □□ □□□□□□ औषधां का परिभाषाएं और दण्ड प्र□□□□ पहले हा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 □ f□□ □□ □□ बिक्री के लिए एएसयू औषधां के विनिमाण हेतु लाइसस प्रदान अथवा नवीकरण करने □□f□□ संबंधित भेषजसंहिताओं और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावलो, 1945 □ □□□ प्र□त□ □□□त□ मानकां और आदश विनिमाण पद्धतियां (जीएमपी) का अनुपालन औषध विनिमाताओं के लिए अनिवाय □□□□ □□

*****